भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4228
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 / 11 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मूशाहारी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4228 श्री मल्लिकार्जून खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूशाहारी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार और सिफारिश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंड़ियन एवीडेंस एक्ट), जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है तथा सीआरपीसी, जिसका स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है, में संशोधन करके समिति की सिफारिश 42 तथा 47 को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) के अंतर्गत "पुलिस" राज्य का विषय है। पुलिस के कार्यकरण की कुशलता, प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से पुलिस सुधार संबंधी उपायों को लागू करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार, समय-समय पर पुलिस सुधार संबंधी मामलों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करती है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4228 दिनांक 01.04.2026

सरकार ने पुलिस सुधारों पर पिछले आयोगों/समितियों की सिफारिशों की समीक्षा के लिए श्री आर.एस. मूशाहारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति ने 49 सिफारिशों की एक अल्पसूची बनाई थी। "पुलिस" के राज्य का विषय होने के नाते समिति की सिफारिशों को यथोचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया था। इनके कार्यान्वयन की स्थिति, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

(ख) और (ग): समिति की सिफारिशों की जांच मौजूदा विधिक तथा प्रशासनिक ढांचों के अनुसार की गई है। सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित विभिन्न इनपुटों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पिछले कानूनों को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 को अधिनियमित किया है।
